

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.स्था.4 / ७७७ / २०१९ / २५२७६  
प्रति,

भोपाल, दिनांक १६/०९/२०१९

1. समस्त संभागीय उपायुक्त,  
अनुसूचित जाति/जनजातीय कार्य विभाग  
मध्यप्रदेश ।
2. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक,  
जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश ।

विषय:- शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों का वेतन आहरण बावत् ।

विषयांतर्गत शिक्षा विभाग से आदिवासी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों के वेतन आहरण हेतु पूर्व में ई-मेल से निर्देशित किया गया है। पुनः अवगत होवे कि इन शिक्षकों के एम्प्लाई कोड के निराकरण होने तक इनको वेतन शीर्ष 42-009 से आहरित किया जाना है।

(आम्ल द्वारा अनुग्रहित)

अपर संचालक,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश

i`